रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092022-238891
CG-DL-E-16092022-238891

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 16, 2022/भाद्र 25, 1944
No. 217] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 16, 2022/BHADRA 25, 1944

## वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

## (वाणिज्य विभाग)

## (व्यापार उपचार महानिदेशालय)

## जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली , 16 सितम्बर, 2022

**मामला सं. (एसजी)- 02/2022**

**[रक्षोपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) नियमावली, 2012 के नियम 5 के अंतर्गत]**

**विषय : 2 पीपीएम से अधिक अवशिष्ट वीसीएम सहित पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के आयातों से संबंधित रक्षोपाय(मात्रात्मक प्रतिबंध) जांच की शुरूआत ।**

**फा. सं. 22/2/2022-डीजीटीआर.**—1. समय-समय पर यथा-संशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित रक्षोपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) नियमावली, 2012 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, केमप्लास्ट कुड्डालूर विनायल्स लिमिटेड तथा डीसीडब्ल्यू लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे "याचिकाकर्ताओं" भी कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे 'प्राधिकारी' भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें भारत में 2 पीपीएम से अधिक अवशिष्ट वीसीएम मात्रा पीवीसी सस्पेंशन रेजिन (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच (मात्रात्मक प्रतिबंध) शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

2. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि भारत में विचाराधीन उत्पाद अर्थात 2 पीपीएम से अधिक अवशिष्ट वीसीएम मात्रा वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के आयातों की मात्रा में अचानक, तेजी से और हाल में वृद्धि हुई है, जिसने

घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंचाना शुरू कर दिया है तथा आगे और अधिक क्षति का खतरा उत्पन्न कर रही है। तद्नुसार, याचिकाकर्ताओं ने भारत में विचाराधीन उत्पाद के अयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंध के रूप में रक्षोपाय लागू करने का अनुरोध किया है।

**क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>**

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद 2 पीपीएम से अधिक अवशिष्ट विनायल क्लोराइड मोनोमर (आरवीसीएम) वाला "पॉलीविनायल क्लोराइड (पीवीसी) सस्पेंशन रेजिन " है ।

4. याचिकाकर्ताओं ने पीवीसी सस्पेंशन रेजिन को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया है –(क) 2 पीपीएम से अधिक अवशिष्ट वीसीएम मात्रा वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन (ख) 2 पीपीएम से कम अवशिष्ट वीसीएम मात्रा वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन । याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तावित बीआईएस मानकों का उल्लेख करके अवशिष्ट वीसीएम मात्रा के आधार पर विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा को न्यायोचित ठहराया है । प्रस्तावित बीआईएस मानक आइएस 17658: 2021 में निम्नानुसार उल्लेख है :

> "पीवीसी-एसआर तथा पीवीसी-पीआर की आरवीसीएम मात्रा 2 पीपीएम से अधिक नहीं होगी तथापि, पीवीसी-एसआर आरवीसीएम मात्रा मास/बल्क पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित होने पर 5 पीपीएम से अधिक नहीं होगी । आरवीसीएम मात्रा का परीक्षण आईएस *10151/आईएसओ 24538* के अनुसार किया जाएगा "

5. बल्क मास पालीमराइजेशन, इमल्स पॉलीमराइजेशन और माइक्रो सस्पेंशन पालीमराइजेशन प्रक्रिया के जरिए विनिर्मित पीवीसी रेजिन विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं । निम्नलिखित प्रकार के पीवीसी रेजिन विचाराधीन उत्पाद के दायरे से विशिष्ट रूप से बाहर हैं :

   क. 2 पीपीएम से कम अवशिष्ट वीसीएम वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन

   ख. क्रॉस-लिंक्ड पॉली विनायल क्लोराइड

   ग. क्लोरीनेटेड पॉली विनायल क्लोराइड (सीपीवीसी)

   घ. विनायल क्लोराइड विनायल एसीटेट कोपॉलीमर (वीसी-वीएसी)

   ङ. पॉली विनायल पेस्ट रेजिन

   च. पॉली विनायल क्लोराइड ब्लेंडिंग रेजिन

6. पीवीसी सस्पेंशन रेजिन विनायल क्लोराइड मोनोमर के होमोपालीमर होते हैं और सस्पेंशन पालीमराइजेशन के जरिए उत्पादित किए जाते हैं । विनायल क्लोराइड मोनोमर को कोयला और चूना पत्थर के प्रयोग द्वारा ईडीसी पद्धति या कार्बाइड पद्धति से प्राप्त किया जा सकता है ।

7. पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के अनुप्रयोगों में पाइप (नगर पालिका, निर्माण और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए) पैकेजिंग स्ट्रेच और श्रिंक रेपिंग, रिजिड ब्लिस्टर पैकेजिंग और फूड और फिल्म पैकेजिंग तथा बॉटल और कंटेनर) वायरिंग और इंशुलेशन, चिकित्सा उत्पाद (जैसे ब्लड और इंट्राविनस बैग, किडनी डायलेसिस और ब्लड ट्रांसफ्यूजन उपकरण, कार्डियरक कैथेटर, एंडोक्ट्रेसियल ट्यूब, आरटीपीसीएल हर्ट वॉल्व आदि), आटोमोटिव अनुप्रयोग (जैसे साइड मोल्डिंग, विंडशील्ड सिस्टम घटक, आंतरिक अपहोस्ट्री, डैशबोर्ड, आर्म रेस्ट, फ्लोर मैट आदि), विविध अनुप्रयोगों के लिए कृत्रिम चमड़ा जैसे अपहोलस्ट्री, फर्नीसिंग जैकेट, पर्स, बेल्ट, जूते तथा विविध रेंज की उपभोक्ता वस्तुएं आदि शामिल हैं।

8. विचाराधीन उत्पाद को एच एस कोड 39041020 के अंतर्गत अध्याय-39 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है । सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है ।

9. याचिकाकर्ताओं ने सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध विदेशी उत्पादकों की विचाराधीन उत्पाद की उनकी द्वितीयक स्रोत तथा तकनीकी सूचना से विचाराधीन उत्पाद के आयात आंकड़ों को अपनाया है ।

10. प्राधिकारी ने याचिकाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए विदेशी उत्पादकों के विचाराधीन उत्पाद की तकनीकी विशिष्टताओं के आधार पर याचिका में प्रस्तुत विचाराधीन उत्पाद के आयातों को अलग किया है । जहां कहीं भी

याचिकाकर्ताओं ने अवशिष्ट वीसीएम मात्रा संबंधी सूचना नहीं दी है, वहां प्राधिकारी ने उन्हें 2 पीपीएम से कम अवशिष्ट वीसीएम वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के आयात माना है ।

## ख. समान वस्तु

11. याचिकाकर्ताओं ने बताया है कि भारत में कोई भी उत्पादक 2 पीपीएम से अधिक अवशिष्ट वीसीएम वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन का विनिर्माण नहीं करते हैं । याचिकाकर्ताओं ने बताया है कि यद्यपि, 2 पीपीएम से अधिक अवशिष्ट वीसीएम वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन भारत में उत्पादित नहीं होते हैं, तथापि 2 पीपीएम से कम अवशिष्ट वीसीएम वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन को भारत में उत्पादित समान वस्तु माना जाना चाहिए । याचिकाकर्ताओं ने आगे कहा है कि यदि प्राधिकारी को यह विचार करना चाहिए कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित माल वीसीएम सामग्री के आधार पर समान वस्तु नहीं है, तो भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं को सीधे प्रतिस्पर्धी वस्तु के रूप में माना जाना चाहिए क्योंकि दोनों उपयोग में विनिमेय हैं।

12. याचिकाकर्ताओं ने बताया है कि उपभोक्ता आयातित और घरेलू रूप से उत्पादित उत्पाद को एक दूसरे के स्थान पर समान उद्देश्य के लिए और समान तरीके से प्रयोग करते हैं।

13. विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 9क(4)(ख) में निम्नानुसार प्रावधान है :

"घरेलू उद्योग" से तात्पर्य वस्तु के उत्पादक हैं (कृषि वस्तुओं के उत्पादकों सहित)

*(i) भारत में समग्र रूप से समान वस्तु या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तु;*

*या*

*(ii) जिनका भारत में समान वस्तु या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तु का संचयी उत्पादन भारत में उक्त वस्तु के कुल उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता हो,*

14 रक्षोपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) नियमावली, 2012 के नियम 2(ड.) में समान वस्तु निम्नानुसार परिभाषित है:

*"(ड.) "समान वस्तु" का अर्थ ऐसी वस्तु है जो जांच के अधीन वस्तु से सभी प्रकार से समरूप या समान है या ऐसी वस्तु के अभाव में कोई अन्य वस्तु जिसमें जांच के अधीन वस्तु से अत्यधिक मिलती-जुलती विशेषताएं हैं"*

15. प्राधिकारी ने नोट किया है कि भले ही घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित पीवीसी सस्पेंशन रेजिन अवशिष्ट वीसीएम सामग्री के संदर्भ में विचाराधीन उत्पाद से अलग है, घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद के लिए तुलनीय और विनिमेय उत्पाद का उत्पादन कर रहा है। इसलिए प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए विचार किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद सीधे प्रतिस्पर्धी वस्तु होने के कारण विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है ।

## ग. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

16. यह आवेदन कैमलास्ट कुडुलोर विनायल लिमिटेड और डीसीडब्ल्यू लिमिटेड द्वारा दयर किया गया है । याचिकाकर्ता भारत में समान वस्तु या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तु के घरेलू उत्पादक हैं । यह आवेदन डीसीएम श्रीराम लिमिटेड, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा समर्थित है । याचिकाकर्ताओं के पास कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख हिस्सा है और वे नियमावली के नियम 2(ड.) के साथ पठित अधिनिमय की धारा 9क (4) (ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग हैं । इसके अलावा समर्थकों के साथ याचिकाकर्ताओं का हिस्सा भारत में कुल घरेलू उत्पादन के बराबर है ।

## घ. जांच की अवधि

17. वर्तमान जांच में जांच की अवधि 1 अप्रेल, 2019 से 30 जून, 2022 तक की अवधि है । याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों में हाल में अचानक, तीव्र और भारी वृद्धि हुई है । प्राधिकारी ने 1 जनवरी, 2022 से 30 जून, 2022 को वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ सर्वाधिक हाल की अवधि माना है । इसके अलावा, प्राधिकारी ने इस अवधि के दौरान आयातों का तिमाहीवार मूल्यांकन किया है ।

## ड. आयातों में वृद्धि

18. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि 2021-22 में विचाराधीन उत्पाद के आयात में निरपेक्ष रूप से और घरेलू उत्पादन की तुलना में अचानक, तेज और उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह नोट किया जाता है कि 2020-2021 की तुलना में 2021-22 में आयात में 267% से अधिक की वृद्धि हुई है।

19. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि आयातों में अनेक कारकों की वजह से प्राथमिक रूप से वृद्धि हुई है जिनमें निम्न शामिल हैं :

क. वीसीएम सहित पेट्रोरसायन उत्पादों की लागत में वृद्धि जिससे वीसीएम पद्धति के जरिए उत्पादित पीवीसी सस्पेंशन रेजिन जिनके उत्पादन की लागत बढ़ जाती है;

ख. कोल पद्धति के जरिए उत्पादित उत्पाद की उत्पादन लागत में कोई वास्तविक वृद्धि नहीं होना;

ग. यद्यपि वैश्विक माल भाडा दरों में वृद्धि हुई, परंतु चीन के उत्पादक ऐसी वृद्धि से सुरक्षित रहे क्योंकि उन्हें घरेलू रूप से कोयला उपलब्ध है ।

घ. चीन में विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ता चीन के पूर्वी भाग में स्थित हैं, जहां कोविड महामारी के कारण अनेक लॉकडाउन के कारण उतपाद की मांग में गिरावट देखी गई है।

ङ. चीन में उत्पाद का उत्पादन अधिकांशत: चीन के पश्चिमी भाग में होता है जिसे कोविड 19 की वजह से कोई खास कठिनाई नहीं हुई थी । यद्यपि, चीन में उत्पादन पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना मांग पर पड़ा था । तथापि, इसकी वजह से चीन में उत्पाद के उत्पादन और खपत में असमानता हो गई जिससे उत्पाद की भारी निर्यात योग्य मात्रा बन गई और परिणामस्वरूप चीन से आयातों में वृद्धि हुई ।

## च. घरेलू उद्योग को गंभीर क्षतिऔर गंभीर क्षति का खतरा

20. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि हाल की अवधि में विचाराधीन उत्पाद की भारी मात्रा में आयात में अचानक और तीव्र वृद्धि हुई है जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है । याचिकाकर्ताओं ने यह भी दलील दी है कि बढ़े हुए आयातों के आगे और क्षति का खतरा है । याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि उत्पादन प्रक्रिया की प्रकृति और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए उत्पादन की मात्रा को देखते हुए कम कीमत के आयातों का प्रभाव भारतीय बाजार में कीमत पर सीधे महसूस किया गया है । याचिकाकर्ताओं ने यह भी बताया है कि घरेलू उद्योग की कीमत की तुलना में विदेशी उत्पादकों द्वारा प्रस्तावित कम कीमत के कारण घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को समायोजित करने के लिए तत्काल बाध्य हो जाता है । घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग हर महीने प्रचलित कीमतों और संभावित बाजार स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी कीमतें निर्धारित करता है । तथापि, कुछ चीनी उत्पादकों द्वारा उनके निरंतर प्रस्तावों में की गई कीमत कटौती इतनी अधिक है कि कभी-कभी घरेलू उद्योग को महीने के बीच में ही अपनी कीमतें संशोधित करनी पड़ती हैं । कुछ उत्पादकों द्वारा कीमत प्रस्ताव घरेलू उद्योग की प्रस्तावित कीमत से वास्तविक रूप से कम है जिसकी वजह से भारतीय उ़द्योग में भारी कीमत कटौती हो रही है । इसके अलावा, जबकि भारतीय उद्योग अपनी कीमतें घटा रहा है, परंतु कुछ उत्पादकों द्वारा प्रस्तावित निरंतर कीमत कटौती की वजह आयातों में तीव्र वृद्धि हुई है । घरेलू उद्योग ने यह भी बताया है कि अप्रैल-जून, 2022 की हाल की अवधि में उत्पाद के आयातों में तेजी से वृद्धि के कारण लाभप्रदता में भारी गिरावट आई है । याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया है कि आयात कीमतों की वर्तमान दर पर घरेलू उद्योग को यदि वह आयात कीमतों से मुकाबला करता है तो उसे भारी वित्तीय घाटे उठाने पड़ेंगे ।

21. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आवेदन की जांच के पश्चात प्राधिकारी प्रथमदृष्टया पाते हैं कि संबद्ध वस्तु के आयातों में अप्रत्याशित घटनाओं के कारण बिल्कुल हाल की अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई है और उन्होंने अब बिल्कुल हाल की अवधि में घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंचाना शुरू कर दिया है । इसके अलावा, आयातों से आगे गंभीर क्षति का खतरा है ।

## छ. रक्षोपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) जांच की शुरूआत

22. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधर पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद प्राधिकारी मानते हैं कि नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत रक्षोपायजांच शुरू करने को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं ताकि यह निर्धारित हो सके कि क्या अप्रत्याशित घटनाक्रम के परिणामस्वरूप हाल की अवधि में आयातों में अचानक और तेजी से वृद्धि हुई है और क्या ऐसे आयातों में वृद्धि से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है या उसका खतरा है ।

## झ. सूचना प्रस्तुत करना

23. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर प्राधिकारी को इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों adg15-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in, तथा

dd15-dgtr@gov.in पर वर्तमान जांच से संबंधित सूचना भेजी जानी चाहिए । तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने की तारीख या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ माना जाएगा । यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलबध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं ।

24. जांच में हितबद्ध पक्षकारों को वर्तमान जांच में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) को सूचित करने की सलाह और ऊपर विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर/अनुरोध प्रस्तुत करने की एतद्वारा सलाह दी जाती है ।

25. सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को ऊपर विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर विहत प्रपत्र और ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है ।

26. कोई हितबद्ध पक्षकार ऊपर विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से जांच से संगत अपने अनुरोध भी प्रस्तुत कर सकता है ।

27. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उसे प्रस्तुत किए जाने के लिए एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना भी अपेक्षित है ।

28. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को उसके साथ अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है । उक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है ।

29. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

30. 'गोपनीयता' 'अगोपनीय' अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर 'गोपनीय' या अगोपनीय' स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए । ऐसे अंकन के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उस अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे ।

31. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभावित रूप से गोपनीय है और/या ऐसी अन्य सूचना जिससे प्रदाता ने उसके गोपनीय होने का दावा किया है । स्वाभावित रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए या अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है ।

32. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों सभव नहीं है। यदि कोई इच्छुक पक्ष गोपनीयता के दावे से संतुष्ट नहीं है, तो पार्टी दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण को प्राप्त करने के सात (7) दिनों के भीतर दावे पर आपत्ति उठा सकती है।

33. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

34. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

35. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्घ्ट होने और उसे स्वीकार करने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे ।

**ट. <u>हितबद्ध पक्षकारों के बीच उत्तरों/ अनुरोधों को साझा करना</u>**

36. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की गई है कि सभी हितबद्ध पक्षकार किए गए अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई-मेल कर दें । वर्तमान महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं होगी ।

**ठ. <u>असहयोग</u>**

37. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, संयुक्त सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

**INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th September, 2022

**Case No - (SG) - 02/2022**

[Under Rule 5 of the Safeguard Measures (Quantitative Restrictions) Rules, 2012]

**Subject : Initiation of Safeguard (Quantitative Restrictions) investigation concerning imports of PVC Suspension Resins with Residual VCM above 2 PPM.**

**F. No. 22/2/2022-DGTR.—**1. Having regards to the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Safeguard Measures (Quantitative Restrictions) Rules, 2012 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules), Chemplast Cuddalore Vinyls Limited and DCW Limited (hereinafter referred to as the "Petitioners") have filed an application before the Designating Authority (hereinafter referred to as the "Authority") for initiation of Safeguard (Quantitative Restrictions) investigation concerning imports of PVC Suspension Resins having residual VCM content above 2 PPM (hereinafter referred to as the "subject goods" or the "product under consideration") into India.

2. The petitioners have alleged that there has been sudden, sharp and recent increase in the volume of imports of the product under consideration, i.e., PVC Suspension Resins having residual VCM content above 2 PPM, in India which has started causing serious injury to the domestic industry and is posing threat of further aggravated injury. Accordingly, the petitioners have requested for imposition of Safeguard Measures in form of Quantitative Restrictions on the imports of the product under consideration into India.

**A. <u>Product Under Consideration</u>**

3. The product under consideration in the present investigation is "Polyvinyl Chloride (PVC) Suspension Resins with Residual Vinyl Chloride Monomer (RVCM) above 2 PPM".

4. The petitioners have categorized PVC suspension resin into two categories – (a) PVC suspension resin with residual VCM above 2 PPM and (b) PVC suspension resin with residual VCM below 2 PPM. The petitioners have justified the definition of the product under consideration on the basis of Residual VCM content by referring to the BIS standards. The BIS standard IS 17658: 2021 states as follows:

*"RVCM content of PVC-SR and PVC-PR shall not exceed 2 ppm, However, RVCM content of PVC-SR shall not exceed 5 ppm when manufactured by mass/bulk polymerization process. RVCM content shall be tested in accordance with IS 10151/ISO 24538."*

5. PVC Resins manufactured through bulk mass polymerization, emulsion polymerization and micro suspension polymerization process are excluded from the scope of the product under consideration. The following types of PVC resins are specifically excluded from the scope of the product under consideration:

a. PVC Suspension Resins with Residual VCM below 2 PPM

b. Cross-linked Poly Vinyl Chloride

c. Chlorinated Poly Vinyl Chloride (CPVC)

d. Vinyl Chloride Vinyl Acetate Copolymer (VC-Vac)

e. Poly Vinyl Chloride Paste Resin

f. Poly Vinyl Chloride Blending Resin

6. PVC Suspension Resins are homopolymers of vinyl chloride monomer and are produced through suspension polymerization. Vinyl chloride monomer may be obtained either from EDC route or through carbide route using coal and limestone.

7. PVC Suspension Resin finds applications in pipes (for municipal, construction, and industrial applications), packaging (in stretch and shrink wrapping, rigid blister packaging, and food and film packaging besides bottles and containers), wiring and insulations, medical products (such as blood and intravenous bags, kidney dialysis and blood transfusion equipment, cardiac catheters, endotracheal tubes, artificial heart valves, etc.), automotive applications (such as side mouldings, windshield system components, interior upholstery, dashboards, arm rests, floor mats, etc.), artificial leather for diverse applications like upholstery, furnishing, jackets, purse, belts, shoes besides a varied range of consumer goods, etc.

8. The product under consideration is classified in Chapter 39 under the HS Code 39041020. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the present investigation.

9. The petitioners have adopted the import data of the product under consideration from the secondary source as well as the technical information of the product under consideration of the foreign producers available in public domain.

10. The Authority has segregated the imports of the product under consideration submitted in the petition on the basis of the technical specifications of the product under consideration of the foreign producers made available by the petitioners. Wherever the petitioners have not provided information on the residual VCM content, the Authority has treated those imports as imports of PVC suspension resin with residual VCM below 2 PPM.

**B. <u>Like Article</u>**

11. The petitioners have stated that none of the producers in India manufactures PVC Suspension Resin with Residual VCM above 2 PPM. The petitioners have stated that that even though PVC Suspension Resin with Residual VCM above 2 PPM is not produced in India, PVC Suspension Resin with Residual VCM below 2 PPM should be treated as a like article produced in India. The petitioners have further stated that should the Authority consider that the goods produced by the Indian industry are not like article on the basis of VCM content, the goods produced by the Indian industry should be treated as directly competitive article as both are interchangeable in usage.

12. The petitioners have stated that the consumers use the imported and domestically produced product interchangeably, for the same purpose and in the same manner.

13. Section 9A(4)(b) of Foreign Trade (Development And Regulation) Act, 1992 provides as follows

*"domestic industry" means the producers of goods (including producers of agricultural goods)*

(i) *as a whole of the like goods or directly competitive goods in India; or*

(ii) *whose collective output of the like goods or directly competitive goods in India constitutes a major share of the total production of the said goods in India;*

14. Rule 2(e) of the Safeguard Measures (Quantitative Restriction) Rules, 2012 defines like goods as:

*"(e) "like goods" means goods which is identical or alike in all respects to the goods under investigation, or in the absence of such goods, other goods which has characteristics closely resembling those of the goods under investigation"*

15. The Authority has noted that even though PVC Suspension Resin produced by the domestic industry is different from the product under consideration in terms of the residual VCM content, the domestic industry is producing comparable and interchangeable product to the product under consideration. The Authority has, therefore, for the purpose of the present investigation, considered that the product produced by the domestic industry is a like article to the product under consideration, being a directly competitive article.

**C. <u>Domestic Industry and Standing</u>**

16. The application has been filed by Chemplast Cuddalore Vinyls Limited and DCW Limited. The petitioners are the domestic producers of like or directly competitive article in India. The application is supported by DCM Shriram Limited, Finolex Industries Limited and Reliance Industries Limited. The petitioners account for a major proportion of the total domestic production, constituting domestic industry under Section 9A(4)(b) of the Act read with Rule 2(e) of the Rules. Further, the petitioners together with the supporters account for the total domestic production in India.

**D. <u>Period of investigation</u>**

17. The period of investigation in the present investigation is the period from 1$^{st}$ April, 2019 to 30$^{th}$ June, 2022. The petitioners have submitted that there has been a sudden, sharp and significant surge recently in imports of the product under consideration in India. The Authority has considered 1$^{st}$ January, 2022 to 30$^{th}$ June, 2022 as the most recent period for the purpose of the present investigation. Further, the Authority has undertaken quarterly evaluation of the imports over this period.

**E. <u>Increase in imports as a result of unforeseen developments</u>**

18. The petitioners have claimed that there is a sudden, sharp and significant increase in the imports of the product under consideration in 2021-22 both in absolute terms as well as relative to domestic production. It is noted that the imports in 2021-22 have increased by more than 267%, as compared to that in 2020-2021.

19. The petitioners have claimed that the imports have increased primarily due to a number of unforeseen factors, including the following:

a. Increase in the cost of petrochemical products including VCM leading to increase in the cost of production of PVC Suspension Resins produced through VCM route;

b. No material increase in the cost of production of the product produced through coal route;

c. While global freight rates increased, Chinese producers were insulated from such increase, as coal was available domestically to them;

d. In China, the consumers of the product under consideration are situated in the eastern part of China, which faced decline in demand for the product due to multiple lockdowns caused by Covid pandemic;

e. The production of the product in China is majorly located in the western part of China which had not faced as much difficulty due to COVID-19. While the production was not impacted in China as much as the demand was impacted, the same led to disparity in production and consumption of product in China, leading to huge exportable volumes of the product and resultantly increased imports from China.

**F. <u>Serious injury and threat of serious injury to the domestic industry and causal link between imports and serious injury and threat of serious injury</u>**

20. The petitioners have claimed that sudden and sharp increase in the import of the product under consideration in substantial quantity in recent times has started causing serious injury to the domestic industry. The petitioners have also contended that the increased imports also pose a further threat of

serious injury. The petitioners have claimed that given the nature of production process and the volume of production undertaken by the domestic industry, the effect of low-priced imports is directly felt on the price in the Indian market. The petitioners have further stated that any lower price offered by the foreign producers in comparison to the prices offered by the domestic industry immediately forces the domestic industry to adjust its prices. The domestic industry has submitted that the domestic industry sets its prices every month, having regard to the prevailing prices and expected market situation. However, so significant has been the price reduction made by some producers in their successive offers that the domestic industry has been sometimes constrained to revise its prices even in between the month. The price offers made by some producers are materially below the prices offered by the domestic industry, thus causing significant price undercutting to the Indian industry. Further, even when the Indian industry has been reducing the prices, the successive price reductions being offered by some producers resulted in rapid increase in the imports. The domestic industry has also stated that its profitability has declined significantly in recent period of April-June, 2022 with the rapid increase in the imports of the product. The petitioners have further claimed that at the current rate of the import prices, the domestic industry will incur significant financial losses if it starts competing with the imports by matching the import prices.

21. After examining the application filed by the petitioners, the Authority, prime facie, finds that imports of the subject goods have increased during the most recent period as a result of unforeseen development and the same have started causing serious injury to the domestic industry in the most recent period. Further, the imports pose a threat of serious injury.

**G. <u>Initiation of Safeguard Measures (Quantitative Restrictions) Investigation</u>**

22. On the basis of the duly substantiated application filed by the petitioners, and having satisfied itself on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, the Authority considers that there is sufficient evidence to justify initiation of safeguard investigation under Rule 5 of the Rules to determine whether imports have increased suddenly and sharply in the recent period as a result of unforeseen developments, and whether such increased imports have caused or pose a threat of serious injury to the domestic industry.

**H. <u>Submission of Information</u>**

23. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, any information relating to the present investigation should be sent to the Authority via email at the email addresses adg15-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in and dd15-dgtr@gov.in within 30 days from the date of receipt of the notice. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its finding on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

24. Parties interested in the investigation are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant investigation and file their questionnaire response/submissions within the time limit specified above.

25. All known interested parties are being informed separately to enable them to file the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit specified above.

26. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time limit specified above.

27. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

28. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.

29. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.

30. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

31. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

32. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. In case any interested party is not satisfied on the claim of confidentiality the party can raise an objection on the claim within seven (7) days of receiving the non-confidential version of the documents.

33. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied, the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or in summary form, it may disregard such information.

34. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

35. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**I. <u>Sharing of responses / submissions amongst interested parties</u>**

36. A list of registered interested parties will be uploaded on DGTR's website along with the request therein to email the non-confidential version of the submissions made to all other interested parties. The public file will not be accessible physically due to the ongoing pandemic.

**J. <u>Non-cooperation</u>**

37. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Jt. Secy. and Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA